रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 211] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 8, 1996/आषाढ़ 17, 1918
No. 211] NEW DELHI, MONDAY, JULY 8, 1996/ASADHA 17, 1918

IndiaCode

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1996

सा. का. नि. 270(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (ग), खण्ड (ङ.), खण्ड (च) और खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1996 है ।
 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 के नियम 5 के अधीन रेलगाड़ी की दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई मृत्यु या क्षति के लिए दावे प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप 2 का निम्नानुसार संशोधन किया जाएगा :—
 (1) शीर्षक प्ररूप के भाग 3 में दिया जाएगा ।
 (2) भाग 3 में आवेदन के पैरा एक की पंक्ति 1 में, "किसी रेल दुर्घटना में" शब्दों के स्थान पर "रेलगाड़ी की दुर्घटना या अनपेक्षित घटना में" शब्द रखे जाएंगे ।
3. भाग 3 के पैरा 2 की तीसरी पंक्ति में, "रेल दुर्घटना में" शब्दों के स्थान पर "रेलगाड़ी की दुर्घटना या अनपेक्षित घटना में" शब्द रखे जाएं ।
4. भाग 3 के पैरा 3 में, "दुर्घटना" शब्द के पश्चात् "या अनपेक्षित घटना में" शब्द जोड़े जाएं ।
5. पैरा 3 के अधीन मद 6 को मद 6 (क) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाए तथा एक अन्य मद 6(ख) को निम्नानुसार जोड़ा जाए :—
 "6(ख) अनपेक्षित घटना की तारीख और स्थान को उपदर्शित करते हुए अनपेक्षित घटना की संक्षिप्त विशिष्टियां ।"
6. पैरा 3 की मद 7 में, "टिकट/पास संख्यांक" शब्दों के स्थान पर "टिकट/पास/प्लेटफार्म टिकट संख्यांक" शब्द रखे जाएं ।
7. पैरा 3 की मद 11 में, "दुर्घटना" शब्द से पूर्व "रेलगाड़ी की" शब्द जोड़े जाएं ।

8. पैरा 3 की मद 17 में, "दुर्घटना होने" शब्दों के स्थान पर "रेलगाड़ी की दुर्घटना या अनपेक्षित घटना होने" शब्द रखे जाएं ।

9. भाग 2 की मद (ख) की घोषणा में "क्षति या मृत्यु" शब्दों के स्थान पर "क्षति/मृत्यु/सामान की हानि" शब्द रखे जाएं ।

[सं. 89/टी.सी.(आर.सी.टी.)1-5]

एच. सी. पुनिया, कार्यपालक निदेशक, लोक शिकायतें

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, सा. का. नि. 842(अ), तारीख 19-9-89 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उनका सा.का.नि. 700(अ), तारीख 26-11-91, सा.का.नि. 438(अ), तारीख 21-4-92 और सा.का.नि. 509(अ), तारीख 15-6-94 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 1996

G.S.R. 270(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (c), (e), (f) and (g) of sub-section (2) of Section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Railway Claims Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 1996.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Under Rule 5 of the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989, Form II for preferring claims for death or injury as a result of train accident or untoward incident shall be amended as under :

 (1) The heading shall appear in Part III of the form.

 (2) In Part III, line 2 of para one of application, for the words "in a railway accident" , the words "in accident to train or untoward incident" may be substituted

3. In part III, last line of the para two, for the wods "in the railway accident", the words "accident to train or untoward incident", may be substituted.

4. In part III, para three, the words "or untoward incident" may be added after the words "in the accident."

5. Item 6 under para three may be renumbered as item 6(a) and another item 6(b) may be added as under :

 "6(b) Brief particulars of the untoward incident indicating the date and place of the untoward incident."

6. In item 7, para three, the words "ticket/pass number" may be substituted with the words "ticket/pass/ platform ticket number."

7. In item 11, para three, the words "to the train" may be added after the words "accident."

8. In item 17, para three, after the words "occurrence of the accident", the words "to the train or untoward incident" may be added.

9. In part III, item (b) of declaration, the words "injury/death" may be substituted with the words "injury/death/loss of luggage."

[No. 89/TC(RCT)/1-5]

H. C. PUNIA, Executive Director/Public Grievances

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India vide GSR 842(E) dated 19-9-1989 and subsequently amended by GSR 700(E) dated 26-11-1991, GSR 438(E) dated 21-4-1992 and GSR 509(E) dated 15-6-1994.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996

1658GI/96